



# भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 926 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2001/अग्रहायण 30, 1923

No. 926]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2001/AGRAHAYANA 30, 1923

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1251(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ सत्तावनवां संशोधन) नियम, 2001 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

- (1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) “6. संचार मंत्रालय” शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् :

“6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- (1) दूरसंचार विभाग

- (2) डाक विभाग

- (3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।”;

(ख) “17क. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्ष का लोप किया जाएगा;

- (2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “संचार मंत्रालय” शीर्ष के स्थान पर, “संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्ष रखा जाएगा;

(ख) इस प्रकार रखे गए शीर्ष के अधीन “ख. डाक विभाग” उपशीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :

“ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले।

2. ज्ञान आधारित उद्यमों का संवर्धन।

3. इलैक्ट्रानिक्स का विकास और इसके विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच समन्वय।

4. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

5. इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग उपकरण (कम्प्यूटरों) से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय।
  6. सिलिकॉन सुविधा से संबंधित सभी मामले।
  7. कम्प्यूटर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी और संसाधन से संबंधित सभी मामले, जिसमें हार्डवेयर और साफ्टवेयर, प्रक्रियाओं का मानकीकरण शामिल है और आईएफपी, आईबीआई, और आईसीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले।
  8. इंटरनेट का संवर्धन।
  9. ई-कामर्स का संवर्धन।
  10. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा का संवर्धन।
  11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।
  12. इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिपद।"
- (ग) "सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।"

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]

अतुल कौशिक, उप सचिव

**CABINET SECRETARIAT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2001

**S.O. 1251 (E).**— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty-seventh Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(2) in the First Schedule,—

(a) for the heading "6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"6. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Sookhana Praudyogiki Mantralaya)

(i) Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag);

(ii) Department of Posts (Dak Vibhag);

(iii) Department of Information Technology (Sookhana Praudyogiki Vibhag).";

(b) the heading "17A. Ministry of Information Technology (Sookhana Praudyogiki Mantralaya)" shall be omitted. (2) in the Second Schedule,—

(a) for the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" shall be substituted;

(b) under the heading so substituted, after sub-heading "B. DEPARTMENT OF POSTS (DAK VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries relating thereto shall be added, namely:—

"C. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)

1. Policy matters relating to information technology.

2. Promotion of knowledge-based enterprises

3. Development of electronics and coordination amongst its various users.

4. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

5. Coordination of requirements relating to electronic processing equipment (computers).

6. All matters pertaining to silicon facility.

7. All matters concerning computer based information, technology and processing including hardware and software, standardisation of procedures and matters relevant to international bodies such as IFP, IBI, ICC.

8. Promotion of the internet.

9. Promotion of E-Commerce.
  10. Promotion of information technology education and information technology-based education.
  11. National Informatics Centre.
  12. Electronics and Computer Software Export Promotion Council."
- (c) the heading "MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" and entries relating thereto shall be omitted."

K. R. NARAYANAN  
President

[F. No. 1/22/1/2001-CAB.]  
ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1252( अ ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ अठानवां संशोधन) नियम, 2001 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—  
(क) "कोयला और खान मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "ख. खान विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 7 का लोप किया जाएगा;  
(ख) "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 8 का लोप किया जाएगा;  
(ग) "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :  
"10. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित सड़क संकर्म, सिवाय उनके जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं।";  
(घ) "वस्त्र मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 20 का लोप किया जाएगा;  
(ङ) "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 1 से 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :  
"1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास मंयंधी योजनाओं और परियोजनाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क और संचार के क्षेत्र भी हैं, की आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित मामले।  
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम।  
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत निधि।  
4. नॉर्थ इस्टर्न काउंसिल।  
5. नॉर्थ ईस्ट डिवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनईडीएफआई)।  
6. नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी)।  
7. दि सिबिकम भाइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।  
8. उत्तर पूर्वी ग्रहकरण और हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी), शिलांग।  
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त-पोषित सड़क संकर्म।  
10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना।"

के. आर. नारायणन  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]  
अतुल कौशिक, उप सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2001

S.O.1252 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty - eighth Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

- (A) under the heading “MINISTRY OF COAL AND MINES (KOYALA AUR KHAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)”, entry 7 shall be omitted;
- (B) under the heading “MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSKARAN UDYOG MANTRALAYA)”, entry 8 shall be omitted;
- (C) under the heading “MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG VIBHAG)”, for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—  
“10. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than those in the North Eastern Region.”;
- (D) under the heading “MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)”, entry 20 shall be omitted;
- (E) under the heading “DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS VIBHAG)”, for entries 1 to 4, the following entries shall be substituted, namely:—  
“1. Matters relating to the planning, execution and monitoring of developmental schemes and projects of North Eastern Region including those in the sectors of Power, Irrigation, Roads and Communications.  
2. Hill Area Development Programme and Border Areas Development Programme in North Eastern Region.  
3. Non-lapsable Fund for the North Eastern Region.  
4. North Eastern Council.  
5. North East Development Finance Institution (NEDFI).  
6. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC).  
7. The Sikkim Mining Corporation Limited.  
8. North Eastern Handloom and Handicrafts Development Corporation (NEHHDC), Shillong.  
9. Road works financed in whole or in part by the Central Government in the North Eastern Region.  
10. Planning of Road and Inland Waterways Transport in the North Eastern Region.”.

K. R. NARAYANAN  
President

[F. No.1/22/1/2001-CAB.]

ATUL KAUSHIK, Dy. Secy,

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1253 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ उनसठवां संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) “6क. संस्कृति मंत्रालय” शीर्ष का लोप किया जाएगा ;

(ख) “32क. पर्यटन मंत्रालय” शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“32क. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(i) पर्यटन विभाग

(ii) संस्कृति विभाग।”;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “संस्कृति मंत्रालय” शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) “सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय” शीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

“18. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)।

19. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण।
20. कांजी हौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले।
21. गौशाला और गौसदन।'';

(ग) "पर्यटन मंत्रालय" शीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय"

**क. पर्यटन विभाग :**

1. पर्यटन का विकास।
2. भारत पर्यटन विकास निगम और तद्धीन सार्वजनिक क्षेत्र के होटल और मोटल।
3. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजनार्थ आंकड़े और सांख्यिकी।

**ख. संस्कृति विभाग :**

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय; भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक, ऐशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता और भारतीय युद्ध स्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएं जिनका वित्त पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की हैं।
2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ।
3. पुरातत्त्व, पुरातत्त्वीय संग्रहालय।
4. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7)।
5. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान।
6. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
7. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास।
8. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास।
9. गांधी स्मृति और गांधी दर्शन का प्रशासन।
10. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27) और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची-पत्र देने का संबंध है)।
11. ललित कलाओं की अभिवृद्धि।
12. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां।
13. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्स ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली; राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; संग्रहालयों का व्यापक विकास।
14. रत्न और आभूषण संग्रहालय।
15. राष्ट्रीय नवकला भवन, नई दिल्ली।
16. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन।
17. निखात निधि; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) तथा पुरावशेषों का निर्यात।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं।
19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता।
20. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास।
21. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं।

22. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन।
23. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान।
24. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान।
25. दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां।
26. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण।
27. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति।
28. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन।
29. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं)।
30. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना।
31. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना।
32. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद।
33. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार।
34. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन।
35. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश।
36. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय।
37. गजेटियों का पुनरीक्षण।
38. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव मनाना।
39. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों का प्रकाशन।
40. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्ट्स।
41. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण।
42. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार।
43. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय।
44. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता।
45. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित अन्य सब संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।
46. रवीन्द्र रंगशाला।
47. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र।
48. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद्।
49. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई.जी.एन.सी.ए.)।
50. राष्ट्रीय नाट्यगृह।''।

के.आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]

अतुल कौशिक, उप सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2001

**S.O.1253 (E).**— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty-ninth Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(A) the heading "6A. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)" shall be omitted;

(B) for the heading “32A. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)”, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

“32A. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)

- (i) Department of Tourism (Paryatan Vibhag)
- (ii) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).”;

(2) in the Second Schedule,—

(A) the heading “MINISTRY OF CULTURE (SANSKRITI MANTRALAYA)” and entries relating thereto shall be omitted;

(B) under the heading “MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYAN VAYAN MANTRALAYA)”, after entry 17, the following entries shall be added, namely:—

“18. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

19. Prevention of cruelty to animals.

20. Matters relating to pounds and cattle trespass.

21. Gaushalas and Gausadans.”;

(C) for the heading “MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE (PARYATAN AUR SANSKRITI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)

1. Development of Tourism.
2. India Tourism Development Corporation and public Sector Hotels or Motels thereunder.
3. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)

1. National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial, the Asiatic Society, Kolkata and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance
2. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.
3. Archacology, Archaeological Museums.
4. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904).
5. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of Historical and Archaeological remains.
6. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.
7. History of Freedom Movement.
8. Jallianwala Bagh National Memorial Trust.
9. Administration of Gandhi Smriti and Gandhi Darshan.
10. The delivery of Books and News Papers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954) and the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).
11. Promotion of fine arts.
12. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academics.
13. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits, National School of Drama, New Delhi; Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; Allahabad Museum, Allahabad; General Development of Museums.
14. Museum of Gems and Jewellery.
15. National Gallery of Modern Art, New Delhi.
16. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.
17. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) and Export of antiquities.
18. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

19. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).
20. Charities and Charitable institutions. Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
21. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.
22. Publication of rare manuscripts.
23. Grants to all-India Cultural Institutions.
24. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.
25. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.
26. Distribution of gift books received from abroad.
27. Appointment of Cultural Attaches abroad.
28. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.
29. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.
30. Presentation of books to foreign countries.
31. Establishment of libraries abroad.
32. Translation of Indian classics into foreign languages.
33. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.
34. Presentation of Indian art objects abroad.
35. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
36. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
37. Revision of Gazettters.
38. Observance of Centenaries and anniversaries of important personalities.
39. Publication information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.
40. International Congress of Orientalists.
41. Anthropological Survey of India.
42. National Archives of India.
43. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.
44. National Council of Science Museums, Calcutta.
45. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
46. Rabindra Rangshalla.
47. Zonal Cultural Centres.
48. National Council of Culture.
49. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).
50. National Theatre.

K. R. NARAYANAN  
President

[F. No. 1/22/1/2001-CAB.]  
ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.